

निर्णय ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 303/2024 (भाषा 14 शिक्कोरिटाईजेशन)
हीरो हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत पता-- 08 कम्यूनिटी रोन्टर, बरत लोका, बरत विहार, नई
दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री योगेश कुमार पाण्डे,
पता - प्लॉट नं. 15 तथा 16, स्कीम श्री जी वाटिका (श्याम वाटिका) बोबाड़ी गृह निर्माण सहकारी
समिति, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर
एवं कमला टेक्सटाईल्स, 50, अपोजिट गोलीमार साधन, सीतारामपुरी, आमेर रोड़, जयपुर।
2. श्री अशोक कुमार पाण्डे,
पता - प्लॉट नं. 15 तथा 16, स्कीम श्री जी वाटिका (श्याम वाटिका) बोबाड़ी गृह निर्माण सहकारी
समिति, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर
एवं कमला हेण्डीक्राफ्ट्स, 50, अपोजिट गोलीमार साधन, सीतारामपुरी, आमेर रोड़, जयपुर।
3. मंजू पाण्डे,
4. संगीता पाण्डे,
पता - प्लॉट नं. 15 तथा 16, स्कीम श्री जी वाटिका (श्याम वाटिका) बोबाड़ी गृह निर्माण सहकारी
समिति, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
5. कमला टेक्सटाईल्स जरिये प्रोपराईटर श्री योगेश कुमार पाण्डे
6. कमला हेण्डीक्राफ्ट्स जरिये प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार पाण्डे,
पता - प्लॉट नं. 15 तथा 16, स्कीम श्री जी वाटिका (श्याम वाटिका) बोबाड़ी गृह निर्माण सहकारी
समिति, नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर
एवं कमला हेण्डीक्राफ्ट्स, 50, अपोजिट गोलीमार साधन, सीतारामपुरी, आमेर रोड़, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 29.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु
दिनांक 26.02.2022 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती संगीता पाण्डेय के स्वामित्व की
संपत्ति प्लॉट नं. 15 व 16, आवासीय योजना, श्री जी वाटिका स्थित नायला रोड़, जयसिंहपुरा खोर,
जयपुर, कुल क्षेत्रफल 124.51 वर्गगज को बन्धक रख कुल राशि 25,02,000/-रुपये की ऋण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकृत को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मशीनान्तरित अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 25,02,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 26,54,751/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.05.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती संगीता पाण्डेय के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 15 व 16, आवारीय योजना, श्री जी वाटिका स्थित नायला रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 124.51 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने का आदेश करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल करवाये जायें।



आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को सारे इजलारा सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर